गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.05.2018 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.05.2018 को सायं 6:30 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो. अंजिला गुप्ता, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो. पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो. ए.एस. रणदिवे	सदस्य
4.	प्रो. अनुपमा सक्सेना	सदस्य
5.	प्रो. मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
6.	प्रो. व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
7.	प्रो. विशन सिंह राठौड़	सदस्य
8.	डॉ. रेणु भट्ट	सदस्य
9.	डॉ. एस.एस. धुरिया	सदस्य
10.	डॉ. एम.सी. राव	सदस्य
11.	डॉ. राकेश पाण्डेय	सदस्य
12.	प्रो. एम.के. सिंह	विशेष आमंत्रित
13.	प्रो. शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र. 01 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.03.2018 एवं स्थगित बैठक दिनांक 12.03.2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.03.2018 एवं स्थगित बैठक दिनांक 12.03.2018 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।

विषय क्र. 02 **अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला की शैक्षणिक पदों के भर्ती हेतु अर्हता निर्धारण पर विचार करना।**

अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के शैक्षणिक पदों की अर्हता को स्पष्ट करने हेतु गठित समिति की अनुशंसाओं पर विचार करते हुए स्थायी समिति ने विस्तृत चर्चा की। गठित समिति की अनुशंसाये निम्नानुसार है :–

A) The minimum qualification for the appointment of the faculty members for the SoS, Engineering & Technology shall be based on the regulations of UGC/AICTE as amended from time to time.

B) The desirable qualifications can be prescribed to suit the requirements of the various teaching programmes of SoS, Engineering and Technology.

C) Candidates with non-engineering background shall be considered as per the UGC regulations and the candidates with engineering background shall be considered as per AICTE regualtions.

चर्चा दौरान विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने अनुभव किया कि बिन्दु क्रमांक "A" एवं "C" पर प्राप्त अनुशंसा में और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, अतः समिति ने यह निर्णय

03/05/2018

लिया कि बिन्दु क्रमांक "A" एवं "C" को निम्नानुसार प्रावधान से प्रतिस्थापित करते हुए भर्ती विज्ञापन संबंधी कार्यवाही की जाय :–

A) The minimum qualifications for the appointment in the teaching posts for the SoS, Engineering & Technology shall be based on the regulations of UGC/AICTE as amended from time to time.

C) Appointment for the post in Engineering and Technology branches (Engineering Trade) shall be as per the eligibility prescribed by AICTE, whereas for other posts in the School of Studies of Engineering and Technology such as Humanities, Basic Sciences, Biology, etc. shall be as per UGC regulations prevailing at the time of advertisement.

विषय क्र. 03 **अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला में सत्र 2017–18 के छात्रों द्वारा प्रवेश निरस्त कराये जाने पश्चात् शुल्क वापसी के संबंध में।**

यह विषय स्थायी समिति द्वारा स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्र. 04 **अध्ययन मण्डल अर्थशास्त्र द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार करना।**

समिति ने निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 05 **अध्ययन मण्डल मेकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।**

समिति ने निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक संपन्न हुई।

03/05/2018

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव

कुलपति/अध्यक्ष

Mcell~1\SC\..\SC 09-03-2018